

उत्तर प्रदेश शासन,
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4
लखनऊ: दिनांक 02-12-2024

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-4 के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों के शुल्क निर्धारण हेतु प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 की विज्ञप्ति संख्या-1/666507/2024-71-4099/34/2021, दिनांक 12.06.2024 द्वारा फीस नियमन के लिए समिति का गठन किया गया है।

2- राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रथम बार शैक्षणिक सत्र 2024-25 में डा० बी०एस० कुशवाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ए-1, लखनपुर नियर सीएसजेएम यूनिवर्सिटी कानपुर उ०प्र० को 150 सीट एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु लेटर आफ परमिशन (एल०ओ०पी०) निर्गत की गयी है।

3- इस क्रम में दिनांक 25.11.2024 को फीस नियमन समिति की सम्पन्न बैठक के समक्ष संबंधित मेडिकल कालेज की सुनवाई, संबंधित मेडिकल कालेज द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के परिशीलन के उपरान्त फीस नियतन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में श्री राज्यपाल डा० बी०एस० कुशवाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ए-1, लखनपुर नियर सीएसजेएम यूनिवर्सिटी कानपुर के एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम हेतु वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं.	संस्था का नाम	निर्धारित शुल्क (धनराशि रूप में)
1	डा० बी०एस० कुशवाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ए-1, लखनपुर नियर सीएसजेएम यूनिवर्सिटी कानपुर उ०प्र०	12,58,288

छात्रावास शुल्क-

(ए)	नॉन ए०सी०	₹ 1,65,000 प्रतिवर्ष
(बी)	ए०सी०	₹ 1,92,500 प्रतिवर्ष।

उक्त शुल्क में मेस शुल्क सम्मिलित है। एक कक्ष में दो से अधिक छात्र नहीं रखे जायेंगे। छात्रों को ब्रेक फास्ट, लन्च व डिनर उपलब्ध कराया जायेगा। आहार पौष्टिक तथा वेरायटी का होगा।

सिक्वोरिटी डिपॉजिट (वापसी योग्य)-

1	हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, लेबोरेट्री एवं अन्य समस्त सिक्वोरिटी राशि को शामिल करते हुए:	₹ 3,00,000 (एक बार)
---	---	------------------------

विविध शुल्क- ₹ 94,160 प्रतिवर्ष।

उक्त विविध शुल्क में समस्त प्रकार के शुल्क एवं चार्जेज यथा विश्वविद्यालय पंजीकरण, डेवलपमेंट फीस, लाइब्रेरी फीस, स्टूडेंट एसोशियेशन फीस, जिम एण्ड स्पोर्ट्स फीस, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि सम्मिलित है। उक्त के अतिरिक्त कालेज द्वारा कोई अन्य फीस नहीं ली जायेगी।

शैक्षणिक शुल्क छात्रों से प्रतिवर्ष जमा कराया जायेगा एवं किसी भी दशा में शैक्षणिक शुल्क की राशि एकमुश्त अग्रिम के तौर पर जमा नहीं करायी जायेगी। संबंधित मेडिकल कालेज

उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क से कम शुल्क लेने के लिए स्वतन्त्र है।

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)

प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, 30प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, 30प्र0 शासन।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, 30प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निर्धारित शुल्क की सूचना महानिदेशालय की अधिकृत वेबसाइट <http://upmededu.in> पर प्रदर्शित की जायेगी तथा उक्त संस्था द्वारा भी इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न शुल्क की सूची उनकी अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
5. प्रधानाचार्य, डा0 बी0एस0 कुशावाह, इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसेज, ए-1, लखनपुर नियर सी0एस0जे0एम0 यूनिवर्सिटी कानपुर ।
6. निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री /मा 0राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, 30प्र 0शासन।
7. निजी सचिव, सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, 30प्र0 शासन।
8. निदेशक, मुद्रण एवं प्रकाशन, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति को असाधारण गजट के भाग-4, खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर 50 प्रतियां चिकित्सा शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।